

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:पं02(01)चिस्वा / 2 / 2024 / ई-14589

जयपुर, दिनांक:

आदेश

डा0 धन भाग भाटी, वरिष्ठ विशेषज्ञ (दन्त) जन्म तिथि - 02.01.1965 उप जिला चिकित्सालय, बिजयनगर - ब्यावर को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम-50(1) के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2024 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

डा0 धन भाग भाटी (जन्मतिथि 02.01.1965) के विरुद्ध :-

- 1- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई जांच विचाराधीन एवं लम्बित नहीं है।
- 2- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन एवं लम्बित नहीं है।
- 3- कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन एवं लम्बित नहीं है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(निशा मीणा)

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1-निदेशक(जन स्वा) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राज0 जयपुर।
- 2-संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, अजमेर।
- 3-प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अजमेर।
- 4-डा0 धन भाग भाटी, वरिष्ठ विशेषज्ञ (दन्त), उप जिला चिकित्सालय, बिजयनगर - ब्यावर।
- 5-रक्षित पत्रावली /कम्प्यूटर कक्ष।

शासन संयुक्त सचिव

RajKaj Ref
6046737

Document certified by NISHA MEENA
<nisha281073@yahoo.co.in>

Digitally Signed by Nisha Meena
Designation: Joint Secretary To
Government
Date :11-03-2024 11:58:47

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चि.अ./डी-485/2024/78

दिनांक : 08/04/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग राज0 जयपुर को उनके पत्रांक प02(01)चिस्वा/2/24/ई-14589 जयपुर दिनांक 11.03.2024
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, ज्योति नगर, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, अजमेर।
4. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन अजमेर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला अजमेर।
6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, उप जिला चिकित्सालय, बिजयनगर, ब्यावर को प्रेषित कर लेख है कि चिकित्सक के विरुद्ध आप अपने कार्यालय स्तर पर विभागीय जांच बकाया/विचाराधीन के संबंध में जांच कर लें।
7. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एटी/डीपीसी (राजपत्रित) अनुभाग मुख्यालय।
8. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करे।
9. डॉ० धन भाग भाटी, वरिष्ठ विशेषज्ञ (दन्त) द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

Signature valid

RajKaj Ref
6355046



Digitally signed by Raj Prakash
Sharma
Designation : Additional Director
Date: 2024.04.02 11:02:16 IST
Reason: Approved